चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 10.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन चित्रकूट में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शुक्रवार परेड की सलामी लेने के उपरांत थाना, चौकी एवं पुलिस लाइन के पुलिस बल द्वारा विभिन्न विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक पूर्वाभ्यास किया गया।
मॉक ड्रिल के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव द्वारा दंगा नियंत्रण की विभिन्न पार्टियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं आर्मोरर द्वारा एंटी राइट गन, टीयर स्मोक गन, गैस गन एवं पम्प एक्शन गन के सुरक्षित एवं प्रभावी संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
अभ्यास के दौरान पुलिस बल द्वारा विधि-विरुद्ध भीड़ को नियंत्रित एवं तितर-बितर करने हेतु लाठीचार्ज, रबर बुलेट गन, अश्रु गैस, एंटी राइट गन,फायर सर्विस, टीयर स्मोक सेल एवं अन्य दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग का सफल प्रदर्शन किया गया। साथ ही इन उपकरणों के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) की भी जानकारी दी गई।
चित्रकूट पुलिस का यह पूर्वाभ्यास किसी भी आकस्मिक अथवा चुनौतीपूर्ण स्थिति में त्वरित,प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस बल को लगातार प्रशिक्षित एवं दक्ष बनाए रखने के लिए ऐसे अभ्यास समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद अभ्यास पुलिस लाइन परिसर,क्वार्टर गार्द,परिवहन शाखा,डायल 112 कार्यालय का भ्रमण कर कमियों को दूर करने तत्पश्चात पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम किया गया।
अभ्यास के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव तथा समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

(3). दिनांक 08.07.2026 को एक अज्ञात मानसिक विक्षिप्त महिला उम्र करीब 55 वर्ष साईं मंदिर के पास सड़क पर ग्राम बकता बुजुर्ग सीमा थाना पहाड़ी समय करीब 0400 बजे किसी अज्ञात वाहन से घायल होकर पड़ी थी एंबुलेंस से सी0एच0सी0 पहाड़ी ले जाया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। तत्पश्चात पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चुरी हाउस दाखिल किया गया है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी कुछ दिनों से पहाड़ी और आस पास असमय दिखा करती थी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनाँक 10.07.2026 को श्रीमती करिश्मा गुप्ता क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही वर्तमान समय में साइबर ठगों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवित प्रमाण पत्र,सीबीआई,ईडी,एटीएस के अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी का शिकार किया जा रहा है,जिससे बचने हेतु जागरूक किया गया। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(5). आज दिनाँक 10.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्रीमती करिश्मा गुप्ता द्वारा HCMT (मुख्य आरक्षी चालक) पद से ASIMT (सहायक उपनिरीक्षक) पद पर प्रोन्नति पाने वाले मुख्य आरक्षी चालक अरुणा कुमार ओझा,वहीद खां,सुखदेव व पारसनाथ पाण्डेय के कन्धों में स्टार लगाकर अलंकृत किया गया । इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोन्नति पाने वाले सहायक उपनिरीक्षकों का मुंह मीठा कराया गया तथा शुभकामनाऐं देते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।
आवेदिका द्विव्यांशी उर्फ पलक ने अपने पति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 10.07.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त नत्थू यादव पुत्र चुन्ना निवासी बगैचा पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5421/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 10.07.2026 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 26/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी

अभियुक्त राजू पुत्र नत्थू रैदास निवासी खाचापुरवा मजरा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5352/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार वेदान्त पाण्डेय व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.07.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2016 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रवि केवट पुत्र मंगी केवट निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आरिफ़ खान व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.07.2026 को थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2023 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सत्यनारायण निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल मय हमराह रि0आरक्षी मनीष त्रिपाठी द्वारा मु0नं0-1128/2023 धारा 200 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त कमल बहादुर उर्फ कल्लू पुत्र चतुर सिंह निवासी ग्राम भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।